(B)

प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग की अध्यक्षता में मत्स्य चेतना केन्द्र, मत्स्य विभाग में दिनांक 09.08.2017 को मध्यान्ह 11:00 बजे आयोजित माह जुलाई 2017 की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव मत्स्य महोदय की अध्यक्षता में उक्त मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें विशेष सचिव, अनुसचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग सहित श्री एस0के0सिंह, संयुक्त निदेशक मत्स्य, निदेशालय के अधिकारीगण, मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0मत्स्य विकास निगम लि0, क्षेत्रीय विभागीय उपनिदेशकों (गोरखपुर, फैजाबाद के अतिरिक्त) एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में शासन की प्राथमिकताओं से यथा कार्यों में पारदर्शिता, On line real time, किसानों की आय में दोगुना वृद्धि करने हेतु विभागीय प्रयासों को ईमानदारी से करने हेतु विभागीय अधिकारियों को प्रेरित करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

1– नीली क्रान्ति योजना:–

उक्त योजनान्तर्गत तालाबो के निर्माण मद में 19 जनपदों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्य के सापेक्ष्य निर्गत रू0–60.531750 लाख के सापेक्ष्य मात्र रू–5.14 लाख का व्यय तीन जनपदो बिजनौर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर द्वारा ही किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार मद वर्ष 2016–17 के सापेक्ष्य प्रदेश के समस्त जनपदों को आवंटित धनराशि रू0–491.00764 लाख के विरूद्ध रू–61.89273 लाख मात्र का व्यय 11 जनपदों यथा– कौशाम्बी, हरदोई, अमेठी, अम्बेडकरनगर, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, रामपुर, बिजनौर एवं ललितपुर द्वारा किया गया शेष 64 जनपदों की प्रगति शून्य है। उक्त स्थिति दयनीय है जिसके लिए सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को सचेत करते हुए दिनांक 31.08.2017 तक 75 प्रतिशत् तथा दिनांक 30.09.2017 तक शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के कड़े निर्देश दिये गये। नये तालाबों के निर्माण/निवेश मद में कमशः– 0.045 लाख (जनपद– बुलन्दशहर, बिजनौर) एवं सुधार के सापेक्ष्य निर्गत धनराशि रू0–64.46894 लाख के विरूद्ध रू0–4.86806 लाख मात्र का ही व्यय जनपदों– बुलन्दशहर, बिजनौर, कौशाम्बी, हरदोई, अमेठी, अम्बेडकरनगर, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, रामपुर एवं ललितपुर द्वारा किया गया। मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण के दृष्टिगत माह अगस्त 2017 तक 75 प्रतिशत् एवं शेष सितम्बर 2017 तक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.8.2017
DD(Coop)
DDP
DDHQ
FAO

मत्स्य बीज रियरिंग इकाई मद में 20 जनपदों को आवंटित रू0– 55.25 लाख के सापेक्ष्य मात्र रू0– 10.82 लाख का व्यय मासान्त तक जनपद बिजनौर, हरदोई, अम्बेडकरनगर, अलीगढ़ एवं शाहजहॉपुर द्वारा किया गया है। उपरोक्त योजना मद में शेष जनपदों की प्रगति समीक्षा में शून्य है। जिसपर असन्तोष व्यक्त करते हुए सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं 18 अगस्त 2017 तक प्रत्येक दशा में लक्ष्य पूर्ण किये जाने एवं विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये ।

(एस० के० सिंह)
युक्त निदेशक मत्स्य

उक्त योजनान्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर मद में जनपद जौनपुर द्वारा हैचरी की स्थापना हेतु लाभार्थी चयन की प्रकिया पूर्ण न किया जाना और डीपीआर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति के पश्चात् धनराशि समर्पित कराते हुए जनपद कासगंज से हैचरी की स्थापना हेतु डीपीआर की जांच के पश्चात् धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिये गये। जनपद सिद्धार्थनगर के जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हैचरी स्थापना सम्बन्धी डीपीआर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनपद आजमगढ़ एवं बलिया को आवंटित आटो रिक्शा विद आईस बाक्स, साईकिल विद आईस बाक्स एंवं मोटर साइकिल विद आईस बाक्स का वितरण/क्रय प्रत्येक दशा में दिनांक 17 अगस्त 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये।

जनपद इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर एवं जालौन द्वारा सोलर पावर एक्वाकल्चर का डीपीआर तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

आर ए एस एवं केज कल्चर जिन जनपदों को आवंटित है से सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 25 अगस्त तक डी0पी0आर निदेशालय को प्रस्तुत करें।

जनपद शामली को तालाब सुधार एवं निवेश में कमशः रू0–4.77 लाख एवं रू0–2.04 लाख आवंटित किया गया था। आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद शामली द्वारा शत्–प्रतिशत व्यय का उपभोग प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिया है। यह अवगत कराया गया कि लाभार्थीवार सूचना के संकलन/

समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि एक लाभार्थी को धनराशि का हस्तान्तरण कोषागार की तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सका। इस सम्बन्ध उपनिदेशक एवं जनपदीय अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया गया।

जनपद बांदा में तालाब सुधार में 03 लाभार्थी चयनित किये गये थे जिसके सापेक्ष्य जनपद को तालाब सुधार एवं निवेश क्रमशः रू0–4.77लाख एवं रू0–2.04 लाख दिया गया। चयनित लाभार्थी को आवंटित धनराशि आहरित कर किसी अन्य खाते में सम्भवतः एन0एफ0डी0बी0 खाते में रक्षित कर ली गयी जनपद द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।इस अनियमितता के सम्बन्ध में किसी अन्य मण्डल के मण्डलीय अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिये गये।

जनपद चित्रकूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि तालाब सुधार हेतु जो लाभार्थी चयन किया गया था उसके द्वारा कार्य नहीं कराया गया है इस कारण से उसको धनराशि नहीं दी जा सकती है, हैचरी प्रभारी एवं अन्य स्टाफ की मिली भगत से यह दबाव बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये साथ ही उपनिदेशक मत्स्य झांसी/चित्रकूट का भी जवाब तलब किया जाये।

जनपद गाजियाबाद में कार्य पूर्ण न होने पर उपनिदेशक मत्स्य श्री अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य श्री ए0के0गौतम की अकर्मण्यता के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है इस हेतु श्री ए0के0गौतम के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– उ0नि0म0(मु0)/उ0नि0म0(नि0)/सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

2–जलप्लावितः–

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत मात्र 10 जनपदों यथा फिरोजाबाद, मऊ, फतेहपुर, झांसी, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, रायबरेली, कानपुरनगर, हरदोई, एवं लखीमपुरखीरी में लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।शेष 35 जनपदों में कार्यवाही न होने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा 20 अगस्त तक नियमानुसार लाभार्थियों का चयन करते हुए तीन माहो मे कार्य पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही–उ0नि0म0(नि0)/सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

3– ग्राम समाज के तालाबों का पटटाः–

राजस्व परिषद के स्तर से वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम समाज के तालाबों के पटटा .आवंटन का वार्षिक लक्ष्य 8134 हे0 के सापेक्ष्य माह ,जुलाई 2017 तक 3229.62 हे0 की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य मात्र 39.71 प्रतिशत है। जनपद– मथुरा, आजमगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, गोण्डा, बलरामपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बदायूं, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, सम्भल, अमरोहा, हापुड़, रायबरेली, लखीमपुरखीरी, वाराणसी, गाजीपुर एवं जौनपुर की प्रगति तीस प्रतिशत् से कम पायी गयी जिसमें जनपद गाजियाबाद की प्रगति शून्य है जो असंतोषजनक है। सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण करने तथा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य प्रगति प्रत्येक दशा में ससमय पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–उ0नि0म0(नि0)/समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

4– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन/वितरणः–

विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन हेतु आगरा, मैनपुरी, कुशीनगर, महोबा, जालौन एवं बरेली जनपद स्थित प्रक्षेत्रों में माह जुलाई तक मत्स्य स्पान का संचय शून्य पाया गया जिस हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त अन्य प्रक्षेत्रों में भी निर्धारित लक्ष्य की शत्प्रतिशत् पूर्ति हेतु वांछित मात्रा में मत्स्य स्पान का संचय नहीं

किया गया है। समस्त अधिकारियो को निर्धारित लक्ष्य की शत्प्रतिशत् पूर्ति के निर्देश दिये गये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के संचालन हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष्य माह जुलाई तक मात्र सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा एवं झांसी जनपदों में व्यय की सूचना ही कोषवाणी में दर्शित है, शेष सम्बन्धित जनपदों में व्यय शून्य पाया जिस पर असन्तोष व्यक्त किया गया। अग्रेतर सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि आवंटित बजट के सापेक्ष्य शत्प्रतिशत् व्यय सुनिश्चित करें तथा विभागीय प्रक्षेत्रों की आय एवं व्यय की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– उ0नि0म0(नि0)/समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

5–नर्सरी इकाई की स्थापनाः–

नीली क्रान्ति के अन्तर्गत मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना के 10 हे0 के लक्ष्य के सापेक्ष्य जनपदों द्वारा पूर्ति नहीं की गई है। झांसी एवं अलीगढ़ में कार्य शतप्रतिशत पूर्ण, महराजगंज 85 प्रतिशत, बहराइच तथा जनपद इलाहाबाद में 70 प्रतिशत पूर्ण बताया गया। समस्त जनपदों को 15 जून–17 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–उ0नि0म0(नि0)/सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

6– समस्त स्रोतों से मत्स्य बीज वितरणः–

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत समस्त स्त्रोतों से निर्धारित लक्ष्य 27095 लाख के सापेक्ष्य माह जुलाई तक 9936.71 की उपलब्धि हुयी जो निर्धारित लक्ष्य का 36.67 प्रतिशत् है।

उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों से कुल निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य माह जुलाई तक 25 प्रतिशत् लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये गये थे जिसके सापेक्ष्य आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुरनगर, इटावा, फर्रूखाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, गोण्डा, बहराइच, बरेली, बदायूं, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, गुरादाबाद, सम्भल, जेपीनगर, रामपुर, हापुड़, उन्नाव, जौनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जनपदों की प्रगति कम पायी गयी। लक्ष्यानुरूप पूर्ति के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– उ0नि0म0(नि0)/समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

7– जलाशयों की सूचनाः–

वर्ष 2017–18 मे नीलामी हेतु अवशेष 57 जलाशय, जिनमे श्रेणी 2 के 2 , श्रेणी 3 के 3 एवं श्रेणी 4 के 52 जलाशय हैं, के संबंध में सम्बन्धित उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि अवशेष जलाशयों की मत्स्याखेट हेतु 31 अगस्त 2017 तक नीलामी की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उ0नि0म0(नि0)/ सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

8– सहकारिता सम्बन्धीः–

बैठक में समस्त जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि दिनांक 04.08.2017 को उ0प्र0राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा एन0आई0सी0 सेंटर लखनऊ के माध्यम से आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की समस्त मत्स्य सहकारी समितियों का डाटाबेस आयोग की वेबसाईड पर फीड कराने के निर्देश दिये गये तथा डाटा किस प्रकार फीड किया जायेगा, के संबंध में प्रशिक्षित भी किया गया। जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता से सम्पर्क कर मत्स्य सहकारी समितियों का डाटा आयोग की बेवसाईड पर अवश्यमेव फीड करा दें इसके अतिरिक्त जिन समितियों का निर्वाचन 2016 में सम्पन्न कराना था,उनके निर्वाचन परिणाम की सूचना निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करायें। यदि किन्हीं कारणों से समितियों में निर्वाचन कराना सम्भव न हुआ हो तो आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन की अगली तिथि पर निर्वाचन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– उ0नि0म0(सह0)/समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी)

9– आडिट सम्बन्धी:–

इस हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत से आडिट प्रस्तर साक्ष्य न प्राप्त होने के दृष्टिगत लम्बित है जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल निदेशालय द्वारा मांगे गये साक्ष्य उपलब्ध करायें और इसमें किसी भी प्रकार की देरी न की जाये अन्यथा इस सम्बन्ध में विलम्ब हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जायेगा। *(कार्यवाही– वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी)*

10 :– बैठक में दिये गये अन्य निर्देश :–

(1) समस्त मण्डलीय अधिकारियों को सचेत किया गया कि समय सारिणी के अन्दर ही लक्ष्यों की पूर्ति हो जाये और इसमें यदि कोई बाधा आ रही हो तो निदेशालय या शासन को तत्काल अवगत कराया जाये।

(2) समस्त अधिकारियों को सूचनाओं/विवरणों के समयबद्ध आदान–प्रदान हेतु ई–मेल, व्हाटअप ग्रुप का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया।

(3) निदेशालय स्तर पर एक आई0टी0सेल गठित किया जाये ताकि सजगता पूर्वक ई–मेल, व्हाटअप ग्रुप तथा एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त सूचनायें सम्बन्धित को तत्काल मिल सके, इस हेतु आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग से कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा जाय।

(4) प्रत्येक शुक्रवार को विभागीय वेबसाईट को अपडेट किया जाये।

(5) जिन जनपदों/मण्डलों द्वारा समय से सूचनायें प्रदान नहीं की जा रही हैं और योजनाओं को समयबद्ध लक्ष्य की पूर्ति में शिथिलता बरती जा रही है उनका तत्काल स्पष्टीकरण जारी करें और वेतन रोका जाये।

(6) अगली बैठक में जिन मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है उनको प्रशंसा पत्र निर्गत कराया।

(7) शासन की मंशा के अनुसार जिओ टैगिंग हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये और इस उपयोग तत्काल किया जाये।

(8) 30 जून 2018 तक की सम्भावित रिक्तियों से सम्बन्धित अधियाचन भेजें जायें। कार्मिकों की ए0सी0पी0, प्रोन्नति से सम्बन्धित कार्य को तत्काल समयबद्ध रूप से किया जायें।

(9) लाभार्थी परक योजनाओं की प्रगति के विवरण के साथ चयनित लाभार्थी का आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अवश्य दर्ज किये जायें।

(10) वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बजट समय से उपलब्ध कराया जाये ताकि समय से उसका उपभोग हो सके साथ ही मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बजट मिलने की स्थिति तक अपने मण्डल में लाभार्थी आदि के चयन का कार्य समय से पूर्ण करा लें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन जनपदों में आहरण वितरण के अधिकार की समस्या आ रही है उनको तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाये एवं प्रस्ताव शासन भेजें।

(11) बैठक में अनुपस्थित उपनिदेशकों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(12) एन0एफ0डी0बी0 से सम्पर्क कर कार्य कराने हेतु डा0सुषमा शर्मा उप निदेशक मत्स्य (नि0) एवं डा0 हरेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक मत्स्य को नामित कर दिया जाये।

(13) प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से निदेशालय को अवगत कराया जाय, इस सम्बन्ध में बरती गयी लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।

(14) जनपद झांसी में लघु फीड मिल एवं जनपद जालौन में सोलर पावर एक्वाकल्चर सिस्टम से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए मा0राज्य मंत्री जी से उद्घाटन कराने हेतु मा0 मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उद्घाटन हेतु समय लेना सुनिश्चित करें।

(15) सभी जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश किया गया कि सम्बन्धित जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर नीली क्रान्ति स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की तिथि निर्धारित कर कार्यवाही करें।

(16) मुख्य महा प्रबन्धक, उ0प्र0मत्स्य विकास निगम लि0 को निर्देशित किया गया कि 70 एमएम का मत्स्य बीज निगम की हैचरियों पर तैयार कर विभाग के माध्यम से प्रदेश सभी जनपदों के मत्स्य पालकों को ट्रायल के रूप में 20–25 हजार की सप्लाई करायी जाये।

(17) जिन योजनाओं की गाईड लाइन्स का अनुमोदन नहीं कराया गया है, उनका अनुमोदन तत्काल प्रस्ताव शासन को भेजकर करायें।
(18) चित्रकूट एवं महोबा के कार्यों के सम्बन्ध में की गयी शिकायत के दृष्टिगत पायी गयी अनियमितता के लिए उप निदेशक मत्स्य, झांसी श्री अरविन्द मिश्र का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।
(19) जनपद– शामली का वित्तीय चार्ज मुजफ्फरनगर वाले सहायक निदेशक मत्स्य को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय। यदि अन्य जनपदों में भी इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई आ रही है तो समेकित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
(20) केज कल्चर के सम्बन्ध में जारी होने वाली गाईड लाईन्स के सम्बन्ध में सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा केज कल्चर के लिए डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाय।
(21) बृहद फीड मिल की स्थापना हेतु उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 द्वारा तत्काल डी0पी0आर0 तैयार कराकर एन0एफ0डी0वी0 हैदराबाद को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल भेजा जाय तथा उसकी एक प्रति मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाय।
(22) स्माल फीड मिल के डी0पी0आर0 सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2017 तक आवश्य तैयार कराये जाय।

अन्त में गहन विचार–विमर्श के उपरान्त धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक को समाप्त किया गया।

****

(डा0 सुधीर एस0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या–1517/सत्रह–म–6–9(413)/2016,
लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2017

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5. मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव